रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 <u>REGD. No. D. L.-33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-24012022-232834 SG-DL-E-24012022-232834

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 2022/माघ 1, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 386
No. 37]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 2022/MAGHA 1, 1943	[N. C. T. D. No. 386

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जनवरी, 2022

F. 1(2495)/LEGAL/HQ/2021-22/9734-42.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, अधिसूचना संख्या 104--जे और 146--जे दिनांक 24.08.50 और 06.12.1950, के साथ पठित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, एतद्वारा मंडलीय आयुक्त (राजस्व) को भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जारी बंदोबस्त अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के किए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. के.एस. जयचंद्रन, विशेष सचिव (पर्यावरण एवं वन)

437 DG/2022 (1)

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE NOTIFICATION

Delhi, the 21st January, 2022

F. 1(2495)/LEGAL/HQ/2021-22/9734-42.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927), read with the Government of India, Ministry of Home, Notification No104-J and 146-J dated 24.08.50 and 06.12.1950, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the Divisional Commissioner (Revenue) as the Appellate Authority to hear appeals against the orders passed by Forest Settlement Officer under said Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. K.S. JAYACHANDRAN, Spl. Secy. (Environment & Forests)